2025/729

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 612 / 2025
जीसीएमएस नं. :– 2025 / 729

प्रार्थीगण :–
1. भागूराम पुत्र सांवलराम जाति विश्नोई निवासी विष्णुनगर

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956</u>

दर्ज दिनांक :– 24/11/25

निर्णय

दिनांक :– 24/11/25

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि ग्राम विष्णुनगर खाता संख्या नया 63 व खाता संख्या पुराना 64 खसरा संख्या 184 रकबा 3.7579 हैक्टेयर किस्म बारानी भूमि आई हुई है। प्रार्थना पत्र में दर्शाये नक्शे अनुसार प्रार्थी व खसरा 187 व 189 के खातेदार ओमीदेवी वगैराह E से F व G से A के अनुसार मौके पर काबिज है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के खसरा संख्या 184 रकबा 3.7579 हैक्टेयर तथा ओमीदेवी वगैराह के खसरा संख्या 187 रकबा 1.0938 हैक्टेयर व खसरा संख्या 189 रकबा 1.4611 हैक्टेयर के मध्य प्रार्थना में दर्शाये नक्शे अनुसार बिन्दु संख्या E से F को यथावत रखते हुए के G से H के स्थान G से A पर नक्शे मे तरमीम तुरूस्ती का आदेश फरमाये जाने निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर से रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार प्रार्थी व खसरा 187 व 189 के खातेदार ओमीदेवी वगैराह प्रार्थना पत्र में दर्शाये अनुसार E से F व G से A के अनुसार मौके पर काबिज है। अतः प्रार्थी के खसरा संख्या 184 रकबा 3.7579 हैक्टेयर तथा ओमीदेवी वगैराह के खसरा संख्या 187 रकबा 1.0938 हैक्टेयर व खसरा संख्या 189 रकबा 1.4611 हैक्टेयर के मध्य प्रार्थना में दर्शाये नक्शे अनुसार बिन्दु संख्या E से F को यथावत रखते हुए के G से H के स्थान G से A पर नक्शे मे तरमीम तुरूस्ती की जानी उचित है। उक्त तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रार्थी व खसरा संख्या 187 व 189 के खातेदार ओमीदेवी वगैराह आपस में सहमत है।

आदेश

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर के जवाब का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के खसरा संख्या 184 रकबा 3.7579 हैक्टेयर तथा ओमीदेवी वगैराह के खसरा संख्या 187 रकबा 1. 0938 हैक्टेयर व खसरा संख्या 189 रकबा 1.4611 हैक्टेयर के मध्य तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट 6697 दिनांक 24/09/2025 में दर्शाये नक्शे अनुसार बिन्दु संख्या E से F को यथावत रखते हुए G से H के स्थान G से A पर नक्शे मे तरमीम दुरूस्त की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त जवाब 6697 दिनांक 24/09/2025 को आदेश का भाग समझा जावें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक .... को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर